

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 53/2021

दर्ज दिनांक 24.08.2021

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2021/157

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. धन्नीदेवी पत्नि नौरतमल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र आत्मज नन्दराम जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल आत्मज बक्सु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल आत्मज बक्सु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारस आत्मज बक्सु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शंकर आत्मज लालु लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मथरा आत्मज लालु लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. विनोद आत्मज कन्हैयालाल नाबाबे सरक्षंक लाली बेवा कन्हैयालाल लुहार निवासी रायपुर
8. भगवतीलाल आत्मज कन्हैयालाल नाबाबे सरक्षंक लाली बेवा कन्हैयालाल लुहार नि.रायपुर
9. भरत आत्मज जगदीश नाबाबे सरक्षंक लीला बेवा जगदीश लुहार निवासी रायपुर
10. राजु आत्मज जगदीश नाबाबे सरक्षंक लीला बेवा जगदीश लुहार निवासी रायपुर
11. लेहरी बेवा गोपाल लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. चान्दी बेवा उदेराम लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. कमला पुत्री उदा लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बाबुड़ी पुत्री उदा लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मीटुदेवी पत्नि शान्तिलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – अधिवक्ता वादी
2. फारुख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता प्रतिवादी 2 लगायत 4
3. प्रतिवादी संख्या 1, 5 लगायत 15 एकपक्षीय

:: निर्णय ::




दिनांक:- 23/4/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में आराजी संख्या 3636 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 3637 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 3638 रकबा 0.03 है0 गै.मु. ओडी कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि में आराजी संख्या 3638 रकबा 0.03 है0 गै.मु. ओडी को छोड़ते हुए वादीया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/18 हिस्से का मौके पर कब्जे के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा इस न्यायालय के संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2024 से आदेश जारी किया कि राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में आराजी संख्या 3636 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 3637 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 3638 रकबा 0.03 है0 गै.मु. ओडी कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि में आराजी संख्या 3638 रकबा 0.03 है0 गै.मु. ओडी को छोड़ते हुए वादीया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/18 हिस्से का हो गया जिसके बजाय राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में आराजी संख्या 3636 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 3637 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 3638 रकबा 0.03 है0 गै.मु. ओडी कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि में आराजी संख्या 3638 रकबा 0.03 है0 गै.मु. ओडी को छोड़ते हुए वादीया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 6/45 हिस्से का पढ़ा जावे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2026/368 दिनांक 02.04.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
	धन्नीदेवी पत्नि नोरतमल सुथार सा.रायपुर खातेदार रहन वीआरकेजीवी शाखा रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 272)	3636/1	0.2800
		योग	1	0.2800



राजस्थान सरकार
जिला अधिकारी
रायपुर

2	1. नारायण पुत्र बक्सु जाट हिस्सा 1/3 सा. देह 2. पारस पुत्र बक्सु जाट हिस्सा 1/3 सा. देह 3. मांगीलाल पुत्र बक्सु जाट हिस्सा 1/3 सा.देह	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 272)	3636/2	0.1120
		योग	1	0.1120
3	1. कमला पुत्री उदा हि0 5/144 लौहार सा.रायपुर 2. कैलाशचन्द्र पुत्र नन्दराम हि0 5/48 जाट सा.देह 3. चान्दी पत्नि उदा हि0 1/18 लौहार सा.रायपुर 4. बाबुड़ी पुत्री उदा हि0 5/144 लौहार सा.रायपुर 5. नाबालिग भगवतीलाल पुत्र कन्हैयालाल सरंक्षक माता लाली हिस्सा 1/432 लौहार सा.रायपुर 6. नाबालिक भरत पुत्र जगदीश सरंक्षक माता लीला हि0 1/432 लौहार सा.रायपुर 7. मथरा पुत्र लालु हि0 1/144 सुथार सा.रायपुर 8. मीठूदेवी पत्नि शान्तिलाल हि0 5/8 सुथार सा. रायपुर 9. नाबालिक राजु पुत्र जगदीश सरंक्षक माता लीला हि0 1/432 लौहार सा.रायपुर 10. लहरी पत्नि गोपाल हि. 1/144 लौहार सा.रायपुर 11. लाली पुत्र जगदीश हि.1/432 लौहार सा.रायपुर 12. लीला पत्नि जगदीश हि0 1/432 लौहार सा. रायपुर 13. नाबालिक विनोद पुत्र कन्हैयालाल सरंक्षक माता लाली हि0 1/432 लौहार सा.रायपुर 14. शंकर पुत्र लालु हि0 1/144 लौहार सा. रायपुर 15. छाउ पत्नि लालु हि0 1/144 लौहार सा.देह 16. लालू पुत्र धुला हि0 5/48 लौहार सा.देह	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3636/3 3637	0.1680 0.2800
		योग	2	0.4480
4	शामलाती बदस्तुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3638	0.0300
		योग	1	0.0300

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दंखलदाजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 23/4/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 53/2021

दर्ज दिनांक 24.08.2021

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2021/157

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. धन्नीदेवी पत्नि नौरतमल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र आत्मज नन्दराम जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल आत्मज बक्सु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल आत्मज बक्सु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारस आत्मज बक्सु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शंकर आत्मज लालु लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मथरा आत्मज लालु लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. विनोद आत्मज कन्हैयालाल नाबाबे सरक्षंक लाली बेवा कन्हैयालाल लुहार निवासी रायपुर
8. भगवतीलाल आत्मज कन्हैयालाल नाबाबे सरक्षंक लाली बेवा कन्हैयालाल लुहार नि.रायपुर
9. भरत आत्मज जगदीश नाबाबे सरक्षंक लीला बेवा जगदीश लुहार निवासी रायपुर
10. राजु आत्मज जगदीश नाबाबे सरक्षंक लीला बेवा जगदीश लुहार निवासी रायपुर
11. लेहरी बेवा गोपाल लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. चान्दी बेवा उदेराम लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. कमला पुत्री उदा लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बाबुड़ी पुत्री उदा लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मीठुदेवी पत्नि शान्तिलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)



निर्णय दिनांक : 23/4/2026

डिक्री दिनांक : 23/4/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर वहाजरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत, फारुख मोहम्मद मन्सूरी व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

सहायक कलक्टर
(रा.जी.ओ.) रायपुर

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	धन्नीदेवी पत्नि नोरतमल सुथार सा.रायपुर खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 272)	3636/1	0.2800
		योग	1	0.2800
2	1. नारायण पुत्र बक्सु जाट हिस्सा 1/3 सा. देह 2. पारस पुत्र बक्सु जाट हिस्सा 1/3 सा. देह 3. मांगीलाल पुत्र बक्सु जाट हिस्सा 1/3 सा.देह	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 272)	3636/2	0.1120
		योग	1	0.1120
3	1. कमला पुत्री उदा हि० 5/144 लौहार सा.रायपुर 2. कैलाशचन्द्र पुत्र नन्दराम हि० 5/48 जाट सा.देह 3. चान्दी पत्नि उदा हि० 1/18 लौहार सा.रायपुर 4. बाबुड़ी पुत्री उदा हि० 5/144 लौहार सा.रायपुर 5. नाबालिग भगवतीलाल पुत्र कन्हैयालाल संरक्षक माता लाली हिस्सा 1/432 लौहार सा.रायपुर 6. नाबालिक भरत पुत्र जगदीश संरक्षक माता लीला हि० 1/432 लौहार सा.रायपुर 7. मथरा पुत्र लालु हि० 1/144 सुथार सा.रायपुर 8. मीठूदेवी पत्नि शान्तिलाल हि० 5/8 सुथार सा. रायपुर 9. नाबालिक राजु पुत्र जगदीश संरक्षक माता लीला हि० 1/432 लौहार सा.रायपुर 10. लहरी पत्नि गोपाल हि. 1/144 लौहार सा.रायपुर 11. लाली पुत्र जगदीश हि.1/432 लौहार सा.रायपुर 12. लीला पत्नि जगदीश हि० 1/432 लौहार सा. रायपुर 13. नाबालिक विनोद पुत्र कन्हैयालाल संरक्षक माता लाली हि० 1/432 लौहार सा.रायपुर 14. शंकर पुत्र लालु हि० 1/144 लौहार सा. रायपुर 15. छाउ पत्नि लालु हि० 1/144 लौहार सा.देह 16. लालू पुत्र धुला हि० 5/48 लौहार सा.देह	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3636/3 3637	0.1680 0.2800
		योग	2	0.4480
4	शामलाती बदस्तुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3638	0.0300
		योग	1	0.0300


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदाजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



40
सहायक कमिश्नर
(राजकीय) जयपुर


नीजNil.....मुबलिंग Nilवावत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/4/2026 को जारी किया गया।


 (करुणा लाडोती)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
 (महिला अदालत)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
 (महिला अदालत)